



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ, 1943 (श०)

संख्या- 310 राँची, सोमवार,

21 जून, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

27 मई, 2021

संख्या-5/आरोप-1-7/2021-5785 (HRMS)-- उपायुक्त, पलामू के ज्ञापांक-112/स्था0, दिनांक 15.02.2021 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रमंडलीय कार्यालय, पलामू के पत्रांक-105/2021, दिनांक 13.02.2021 की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाना कांड संख्या- 03/2021, दिनांक 11.02.2021, धारा-7(a) P.C. (Amendment Act) 2018 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्री जागो महतो, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज को दिनांक 12.02.2021 को वादी संतोष कुमार यादव से 7000 (सात हजार) रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

2. अतः श्री महतो को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 12.02.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।

3. न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद श्री महतो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का कार्यालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची में योगदान देंगे।

4.निलंबन अवधि में इन्हें झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	JAGO MAHTO (110011163087)	श्री जागो महतो, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, हरिहरगंज, पलामू को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत न्यायिक हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 12.02.2021 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।	08/04/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3282
